भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 689

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति

689. श्री विवेक ठाकुरः
श्री बलभद्र माझीः
श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री शंकर लालवानीः
श्री मनीष जायसवालः
श्री अनन्त नायकः
श्री पी. पी. चौधरीः
श्री अशोक कुमार रावतः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री नव चरण माझीः
श्री देवुसिंह चौहान:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेष रूप से ओडिशा राज्य में स्वीकृत और कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है और उनकी संचयी क्षमता का ब्यौरा क्या है और श्रेणी-वार कोयला गैसीकरण वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा सहित श्रेणी-वार और राज्य-वार उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और आस-पास के कोयला-समृद्ध क्षेत्रों में कोई कोयला गैसीकरण परियोजना या संबंधित बुनियादी ढांचा प्रस्तावित या नियोजित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ओडिशा सहित देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी और स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित विशेष रूप से खनिज-समृद्ध क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन, कोयला क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और रोजगार सृजन की दिशा में कोयला गैसीकरण परियोजनाओं का क्या अपेक्षित योगदान है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) और (ख) : 8,500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत, आठ (8) कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें सरकारी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की तीन परियोजनाएं और दो लघु-स्तर की उत्पाद-आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड की एक परियोजना वित्तीय समापन प्राप्त कर चुकी है और निर्माण चरण में है, जबकि शेष परियोजनाएं वित्तीय समापन, सांविधिक स्वीकृति, प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने, निविदा और परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ओडिशा राज्य के संबंध में, इस स्कीम के तहत दो परियोजनाओं, अर्थात् लखनपुर में भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड (बीसीजीसीएल), जिसमें अमोनियम नाइट्रेट की 0.66 एमएमटीपीए की क्षमता है, और 2 एमएमटीपीए डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के लिए अंगुल में जिंदल स्टील लिमिटेड (जेएसएल) को अनुमोदित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता की पहली किस्त के भाग के रूप में 235.52 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी।

(ग) : कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन की स्कीम राज्य अथवा निर्वाचन क्षेत्र विशिष्ट नहीं है और इसे देश भर में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, ओडिशा के क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना अथवा संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अनुमोदित नहीं किया गया है।

(घ) : सरकार ने ओडिशा सहित देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल है:

वित्तीय वर्ष	**नीतिगत उपाय**
वित्तीय वर्ष 2022	गैसीकरण के लिए उपयोग होने वाले कोयले हेतु वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत राजस्व शेयर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है, बशर्ते कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10 प्रतिशत भाग गैसीकरण के लिए उपयोग किया जाए।
	गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) कोयला लिंकेज नीलामी नीति के तहत एक समर्पित "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन" उप-क्षेत्र सृजित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2024	कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 8,500 करोड़ रुपये स्कीम को अनुमोदित किया गया।
वित्तीय वर्ष 2025	विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित मूल्य पर पात्र गैसीकरण परियोजनाओं के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी के तहत कोयले की आपूर्ति शुरू की गई।
वित्तीय वर्ष 2026	
	कैप्टिव उत्पादन के अतिरिक्त शेष कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनआरएस लिंकेज नीलामी में भाग लेने हेतु गैसीकरण परियोजनाओं को अनुमति दी गई।
	डीपीआईआईटी ने मैसर्स झोंगशी केमिकल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (इस तरह का पहला पंजीकरण) को पंजीकरण प्रदान किया, जिससे प्रौद्योगिकी लाइसेंसकर्ता और ईपीसी ठेकेदार के रूप में इसकी भागीदारी संभव हो सकी।
	डीओई ने वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम के तहत सभी 7 कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए जीएफआर के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंधों से छूट (वस्तुओं की 6 श्रेणियां) प्रदान की।
वित्तीय वर्ष 2027	सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपये की स्कीम को अनुमोदित किया गया और स्कीम के दिशानिर्देशों और प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किए।
	एनआरएस लिंकेज नीति के तहत गैसीकरण परियोजनाओं के लिए कोल लिंकेज अवधि को 15 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष तक किया गया है, जिससे दीर्घकालिक ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(ङ) : मौजूदा स्कीम के अंतर्गत क्योंझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कोई कोयला गैसीकरण परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।
